# प्रेस नोट 21.02.2021

**दो अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ दो शातिर गिरफ्तार–**

आज दिनांक 21.02.2021 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चेरूइया लैरोदोरवार के पास से बादल खा पुत्र तसलीम अहमद उर्फ गुड्डू निवासी बलुआ पोखरा थाना घोसी के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा अनूप राजभर उर्फ अन्नू पुत्र सुभाष राजभर निवासी पुरानाकोपा थाना कोपागंज के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर मु0अ0सं0 62,63/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 30 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 21.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मुनाजिद निवासी बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा उत्तम गुप्ता, विशाल गुप्ता निवासीगण हेमर्ह, बबलु सोनकर, शिवकुमार पटेल निवासीगण रसूलपुर थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा अखिलेश यादव निवासी रसूलपुर, उमेश कुमार, रमेश कुमार निवासीगण कस्बा घोसी, थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा सतोंष, बबलु, एथंनी, अरूण, जशवन्त, जयशवन्त निवासीगण फातिमा तिराहा थाना कोतवाली, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा सुभाष चन्द्र, तारकचन्द्र निवासीगण ढोलना थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा बेचन, संजय निवासीगण पलिया, सतोष, प्रमोद, मनीष निवासीगण भतड़ी थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा विन्ध्याचल, चन्द्रन, शिवलाल, हरिकेश, विनोद, भोला, संतोष निवासीगण सलाहाबाद, रविकान्त, अशोक निवासीगण अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक मामलो मे पक्षकार साथ–साथ रहने को हुए तैयार, दो मामलों मे सुलह न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजी गई**

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह के देखरेख में हुआ। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 30 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से पांच मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें एक दंपति साथ–साथ रहने को तैयार हो गए, वही दो मामलो में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। पांच मामलों मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक मे 13 मामलों में एक– एक पक्ष तथा सात मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 07 मार्च 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से सोनी देवी और वकील साहनी ने अपना सभी मतभेद भुलाकर साथ रहने को तैयार हो गए। वही सुषमा चौहान और प्रवीण कुमार के मामले में पीडिता के अनुरोध पर तथा शाइस्ता और दानिश के मामले मे पक्षकारों की अनुपस्थिति में पत्रावली निस्तारित कर दी गई। वही डिम्पल चौरसिया और सुनील तथा सजीदा बानो और इरशाद के मामले मे पक्षकारों के बीच सुलह न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान समीना खातून और सलाउद्दीन, शबनम बानो और मोहम्मद अफजल, गीता सिंह और अमित सिंह, सहाना खातून और खुर्शीद अहमद तथा नीतू सिंह और अजय सिंह ने सुलह के लिए समय की मांग किया तथा 13 मामलों में एक एक पक्षकार तथा सात मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 07 मार्च 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, इब्राहिम सेवक, अर्चना उपाध्याय, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, डा.एमए खांन, महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।